न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 141/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. रूकमा पुत्री शिवनाथ पत्नी टीकूराम कुम्हार, निवासी–फलौदी,जोधपुर। 2. गवरा पुत्री शिवनाथ पत्नी केशूराम के का0मु0– 2/1 जेठाराम पुत्र केसूराम 2/2 गणपतराम पुत्र केशुराम 2/3 ओमाराम पुत्र केशूराम कुम्हार निवासी– ग्राम मोहनगढ, जैसलमेर 2/5 छोटा पुत्री केशुराम पत्नी देवाराम कुम्हार निवासी देचू तहसील देचू, जोधपुर। 2/6 राधा पुत्री केशुराम पत्नी ओमाराम कुम्हार निवासी बसलपुर तहसील बजु कोलायत, बीकानेर। 3. पेम्पो पुत्री शिवनाथ पत्नी पूनाराम कुम्हार, निवासी–भाण्डो (भादा) तहसील ओसियॉ, जोधपुर।		1. लूणाराम पुत्र रामूराम जाति कुम्हार, निवासी– सेखासर, तहसील बाप, जोधपुर। 2. तहसीलदार, बाप जिला जोधपुर 3. मोतीलाल पुत्र मूलचन्द सोनी, निवासी– सरदारपुरा तहसील फलौदी, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.06.2016 जो राजस्व अपील संख्या 59/2014 अनवान रूकमा बनाम लूणाराम में अपर जिला कलेक्टर, फलौदी के द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री किसनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री महेश खयानी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से
2– श्री रोशनलाल, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक२० दिसम्बर, 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, फलौदी के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत नामा0 संख्या 828 को निरस्त करवाने हेतु प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शेखासर के खेत ख0सं0 533 रकबा 68 बीघा 8 बिस्वा, ख0सं0 534

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रकबा 16.15 बीघा कुल 85.03 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त दोनों खसरों में 1/2 हिस्से पर अपीलान्टस का कब्जा काश्त है जो वक्त सेटलमेन्ट अपीलान्टस के स्व0 दादा हरू के नाम पर मिसल बन्दोबस्त तैयार कर पर्चा लगान जारी किया गया था। स्व. हरू पुत्र चीमा के देहान्त पश्चात दो जायन्दा पुत्रों के नाम से नामा0 संख्या 134 फौतेदगी का स्वीकार किया गया जिसमें कॉलम संख्या 10 में दोनों पुत्रों शिवनाथ, रामूराम पिसरान हरू दर्ज किया गया। इसके पश्चात शिवनाथ व माता रूकमा का देहान्त हो गया। उस समय अपीलान्ट की आयु कम थी व अनपढ होने से जानकार नहीं थी। इस कारण लम्बे समय तक शिवनाथ का नाम ही दर्ज रहा। इस दौरान अपीलान्ट की माता का देहान्त हो गया जिनका फौतेदगी नामा0 संख्या 627 स्वीकृत हुआ जिसमें अपीलान्ट के सगे भाई भोमा पुत्र शिवनाथ के नाम स्वीकार किया गया। भोमा के देहान्त बाद नामा0 संख्या 828 स्वीकार हुआ उसमें भी अपीलान्ट का नाम दर्ज न कर लूणाराम पुत्र रामूराम का नाम दर्ज किया गया जिसमें कॉलम संख्या 14 में भोमा फौत सगे काका के लडके के भाई के नाम नामा0 भरकर उचित कार्यवाही हेतु पेश है, अंकित कर दिया गया। जबकि अपीलान्टस स्व. शिवनाथ की पुत्रियां है और प्रथम श्रेणी की वारिस थी इस कारण से शिवनाथ के स्वर्गवास के समय ही उनके नाम से नामा0 दर्ज होना चाहिये था, किन्तु जानबूझकर उनके हकों से वंचित कर सगे भाई भोमा के नाम नामा0 भरा गया। उक्त नामा0 संख्या 828 को निरस्त करवाने हेतु प्रथम अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, फलौदी के द्वारा बिना सुनवाई कर कैम्प कोर्ट सेखासर में रखते हुए एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की जा रही है।

दौरान सुनवाई अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि नामा0 संख्या 828 को स्वीकृत करने से पूर्व शिवनाथ एवं भोगा के सभी विधिक वारिसान को नोटिस जारी किया जाना चाहिये था तथा सभी विधिक वारिसानों की जॉच करनी चाहिये थी तथा जॉच पश्चात ही नामा0 स्वीकृत करना था। इसके अतिरिक्त नामा0 स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, रेस्पोडेन्ट के द्वारा राजस्व कार्मिकों से मिलीभगत कर बाले–बाले अपने नाम नामा0 स्वीकृत करवा लिया गया है, जो निरस्त करने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय को भी चाहिये था कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का नियमानुसार जॉच कर अपील का निस्तारण करना था किन्तु बदनियतीपूर्वक उसकी अपील को कैम्प कोर्ट सेखासर में रखते हुए बिना सूचना ही एवं अपीलान्ट को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बिना सुने ही एकपक्षीय कार्यवाही कर अपील खारिज कर दी गई।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट की प्रथम अपील को कैम्प कोर्ट सेखासर में रखी गई तथा 17.6.2016 को आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट को इस बाबत न तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है और अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा नियत समय में कोई सूचना दी गई। दिनांक 15.3.17 को अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा सम्पर्क किया तब उनके द्वारा बताया गया कि अपील पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखने की जानकारी थी उसके पश्चात आगे की कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई। तब अधीनस्थ न्यायालय जाकर अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त कर दिनांक 17.6.2016 को आदेश की प्रति प्राप्त करते हुए यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिसे अन्दर म्याद मानते हुए अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 मोतीलाल के द्वारा कैम्प कोर्ट सेखासर में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया जिसमें उल्लेखित भूमि के सम्बन्ध में वाद संख्या 38/2014 विचाराधीन होना बताया परन्तु उस पर कोई विचार नहीं किया गया और न ही उसे निर्णित किया गया। उस पर निर्णय करने के उपरान्त ही अपील पर निर्णय देना था। अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट की अपील को गुणावगुण पर निर्णित करते हुए मृतक खातेदार शिवनाथ व भोमा के सभी विधिक वारिसानों की जॉच उपरान्त नये सिरे से फौतेदगी नामा0 दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाने चाहिये थे परन्तु ऐसा नहीं कर अपीलान्ट को हको से वंचित करते हुए अपीलान्ट की प्रथम अपील खारिज कर दी गई है जो विधि अनुकूल नहीं होने से व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से अपीलान्टस की अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को दिनांक 59/2014 को निरस्त किया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि अनुकूल उचित है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रेस्पो0 संख्या एक लूणाराम स्व0 भोमाराम के सगे चाचा का लडका होने एवं स्व0 भोमा के प्रथम श्रेणी का वारिसान होने के कारण भोमा के फौत होने पर उनका नाम नामा0 संख्या 828 में दर्ज करते हुए दिनांक 27.8.1998 को नामा0 स्वीकृत किया गया है जो विधि अनुकूल होने से यथावत बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्टस के द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाधीन नामा0 संख्या 828 जो कि दिनांक 27.8.1998 को स्वीकृत किया गया था, उसके विरूद्ध लगभग 15 वर्ष की लम्बी अवधि व्यतित होने के उपरान्त प्रथम अपील पेश की गई थी जो पूर्ण रूप से म्याद बाहर रही है, जबकि अपीलार्थीया का यह कहना की कि वह वादग्रस्त भूमि पर काबिज चली आ रही है तो ऐसे में उनको अपीलाधीन नामा0 की जानकारी शुरू से होना ही मानी जावेगी। ऐसे में अपील म्याद बाहर होने से भी खारिज करने योग्य थी। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या 3 के द्वारा सहायक कलेक्टर बाप में धारा 88, 53, 92–ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद भी प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है। नामा0 कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग्स है जिसके जरिये कोई व्यक्ति अपने खातेदारी अधिकार तय नहीं करवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी आधार पर अपीलान्टस की प्रथम अपील को अस्वीकार किया था जो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 3 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित करने हेतु अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उन्हें आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया तथा उनकी ओर से यह भी निवेदन किया था कि उक्त वादग्रस्त भूमि ख0सं0 533, 534 मौजा शेखासर से सम्बन्धित एक नियमित वाद धारा 88, 53, 92 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया हुआ है जिसमें प्रार्थी पक्षकार है लेकिन अपीलान्टस ने अधीनस्थ न्यायालय को अंधेरे में रखते हुए इसी भूमि बाबत अपील पेश कर दी गई जो तकनीकी रूप से चलने योग्य नहीं थी।

रेस्पो0 संख्या 3 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त भूमि में से रेस्पो0 संख्या एक लूणाराम ने रेस्पो0 संख्या 3 को 10.00 बीघा भूमि का बेचान कर दिया गया जिस पर रेस्पो0 संख्या 3 के द्वारा कब्जा प्राप्त करते हुए काबिज है तथा लगातार काबिज चले आ रहे है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि में अन्य व्यक्ति भी खातेदार दर्ज हो रखे है जिनको सुने बिना व पक्ष रखने का अवसर दिये बिना अपील पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं दिया जा सकता है और न ही खातेदारी अधिकार तय किये जा सकते है जो कि नियमित वाद के जरिये ही प्राप्त हो सकते है। इस सम्बन्ध में माननीय राज0 उच्च न्यायालय के द्वारा सिविल रिट पीटिशन संख्या 7648/2013 सोमोती बनाम राजस्व मण्डल में पारित निर्णय में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि राजस्व अपील एवं राजस्व वाद एक साथ नहीं चल सकते है तथा वांछित अनुतोष राजस्व वाद के जरिये ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में अपीलार्थीगण की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य ही थी

अस्वीकार किये जाने योग्य ही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इसी आधार पर अपीलार्थीगण की अपील अस्वीकार की थी जो अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलार्थी के द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने बाबत किये गये कथनों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अपीलार्थीगण रूकमा, गवरी एवं पेम्पो मृतक खातेदार शिवनाथराम की जायन्दा पुत्रियॉ रही है। शिवनाथराम के देहान्त उपरान्त उनके पुत्र भोमा के नाम फौतेदगी नामा0 संख्या 627 स्वीकार किया गया। तत्पश्चात भौमा लाऔलाद फौत होने पर अपीलार्थीगण के काका रामूराम के लडके लूणाराम को प्रथम श्रेणी का वारिसान दर्शाते हुए नामा0 संख्या 828 स्वीकृत किया जाना प्रकट है। भौमा के लाऔलाद फौत होने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी के द्वारा अपीलाधीन फौतेदगी नामा0 को स्वीकृत करने से पूर्व शिवनाथराम के अन्य वारिसान यानि अपीलार्थीगण को पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिये था जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की प्रथम अपील में भी अपीलार्थीगण को पर्याप्त सुनवाई का अवसर व कैम्प कोर्ट की सूचना नहीं दिये जाने का अभाव पाया गया है। ऐसे में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाती है तथा अति0 जिला कलेक्टर, फलौदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.6.2016 को तथा अपीलाधीन नामा0 संख्या 828 स्वीकृत दिनांक 27.08.1998 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाप को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातदोर भौमा पुत्र शिवनाथराम के प्रथम श्रेणी के वारिसानों की विधिवत जॉच करे। तत्पश्चात अपीलार्थीगण एवं रेस्पो0 संख्या 3 को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के उपरान्त पुनः नये सिरे से नियमानुसार फौतेदगी नामा0 दर्ज करने सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित करें। निर्णय आज दिनांक 20 दिसम्बर 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर